निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 26 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के माह 11/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री सुनील कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री आलोक कुमार लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 07/07/2018 से 17/07/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी. के. श्रीवास्तव एवं श्री अशोक कुमार लेखापरीक्षा अधिकारियो द्वारा दिनांक 15/11/2016 से 26/11/2016 तक श्री जे. एम. एस. रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2016 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(2) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: .....

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2015-16	N.A.	NIL	-	-	1187.47	1187.87	-	-	0.00	0.00
2016-17	N.A.	NIL	-	-	1988.05	1988.05	-	-	0.00	0.00
2017-18	N.A.	NIL	-	-	2751.97	2751.97	-	-	0.00	0.00
2018-19					925.48	452.89	-	-	472.59	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष ` **	**प्राप्त ` **	**व्यय अधिक्य (+) ` **	**बचत (-) ` **
शून्य					

(iii) इकाई का बजट आवंटन ..... द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **B** श्रेणी की है ।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियंता

अधीक्षण अभियंता

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2018 , 3/2018 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा ....के दौरान का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में दिनांक ... से .... का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भंडार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखा बंदी क्रमश: माह .... तक की गई।
5. **फॉर्म-51**: माह 06/2018 तक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है

भाग प्रथम- ` 1412925.60

भाग द्वितीय- ` 459844.85

6. खण्ड के उच्चन्तलेखो के अवशेष ..... के अंत में

1.नकद परिशोधन- शून्य
2.सामग्री क्रय- शून्य
3.निक्षेप पंजिका- ₹ 61847198.77
4.प्रकीर्ण अग्रिम- ` 9426007
5.भंडार- ` (-) 5596476.00

भाग दो (ब)

प्रस्तरः- 1 ₹11.17लाख की अर्थदण्ड की वसूली न किए जाना |

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत (अल्मोड़ा) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि राज्य योजनान्तर्गत (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 543/2011) जनपद अल्मोड़ा मे विधानसभा क्षेत्र भिकियासैण में बाजखेत-कनकोट- तौलबुधानी-तुराचौरा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 4337/III-2/11-19(प्रा॰आ॰)/03 दिनाक 01.11.2011 द्वारा लम्बाई 23.125 किमी0 हेतु लागत `1396.00 लाख की थी। इस कार्य की आंशिक प्राविधिक स्वीकृति पूर्व में `1136.32 लाख निर्गत की गयी थी एवं वर्तमान में निर्गत की जाने वाली प्रविधिक स्वीकृति रु0 259.68 लाख अद्यातन कुल प्राविधिक स्वीकृति रु0 1396.00 लाख, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 8862/535 याता0-कु0/2014 दिनाक 28.11.2014 के द्वारा प्रदान की गई।

उक्तमार्ग निर्माण कार्य के क्रम में बाजखेत-कनकोट- तौलबुधानी-तुराचौरा मोटर मार्ग का निर्माण के अंतर्गत कि0मी0 7 से 12 मैंडिफैक्ट कटिंग व पार्ट-II के कार्य हेतु मै0 के0एस0बी0 कंस्ट्रक्शन के साथ लागत `1,11,70,658.99 का अनुबंध संख्या 13/SE-01/15 दिनांक 19.03.2015 गठित किया गया उक्तानुसार कार्य प्रारभ्भ की तिथि 19.03.2015 एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि 18.11.2015 थी। उक्त कार्य के सापेक्ष VIth/R Bill तक `88,39,619.00 के भुगतान के बाद भी आतिथि तक अपूर्ण है। ठेकेदार को समयवृद्धि नहीं दी गयी है न ही ठेकेदार के देयक से अर्थदण्ड की कटौती की है।

ठेकेदार द्वारा अनुबंध अवधि पूर्ण होने के 2 वर्ष 8 माह पश्चात् भी उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर G.P.W.-9 के क्लॉज़-4 के अनुसार अनुबंध लागत का 10% अर्थदण्ड लगाना चाहिये था जबकि अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

ठेकेदार की खंड के पास जमा बैंक गारंटी (Bank Guarantee) `20,86,500.00 दिनांक 30-06-2018 को समाप्त हो चुकी थी, परन्तु खंड द्वारा समय पर बैंक गारंटी का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। बैंक गारंटी को वैध न करवा कर खंड द्वारा GPW 9 की शर्तों का उल्लंघन किया है।

उक्त के संबंध में खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया कि कार्य 30 मई 2018 को पूर्ण कर लिया गया है। जिसकी अंतिम माप की कार्यवाही की जा रही है एवं समयवृद्धि प्रकरण की कार्यवाही की जा रही है। जिसमें नियमानुसार अर्थदण्ड लगाकर प्रकरण स्वीकृति हेतु मुख्य (अ0 क्षे0), लो0नि0वि0,अल्मोड़ा को प्रेषित किया जाएगा। अंतिम भुगतान से अर्थदण्ड की वसूली कर ली जाएगी। बैंक गारंटी की वैधता बढ़ाने के उपरांत ही अंतिम भुगतान किया जाएगा अंतिम देयक से उक्त बैंकगारंटी के बराबर धनराशि की कटौती कर ली जाएगी।

लेखापरीक्षा खंड के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि कार्य समाप्ति की अंतिम तिथि (नवम्बर 2015) बीत जाने के 2 वर्ष 6 माह बाद भी अर्थदण्ड की कटौती ठेकेदार के देयक से नहीं की गई थी जो अनुबंध की शर्तानुसार अर्थदण्ड लगाया जाना था। साथ ही बैंक गारंटी को वैध न करवाकर खंड द्वारा GPW 9 की शर्तों का उल्लंघन किया है

अतः₹ 11.17[1] लाख की एलडी की वसूली लंबित रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है|

[1]1,11,70,658.99X 10% = 11,17,065.90

STAN

प्रस्तर सं0-1 रु॰29.06 लाख के प्रकीर्ण अग्रिम की वसूली न किया जाना।

ठेकेदारों को निर्माण कार्यों हेतु अग्रिम वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI के 48(1) साधारणतया ठेकेदारों को अग्रिम दिया जाना वर्जित है तथा किये गये वास्तविक कार्य के सापेक्ष ही भुगतान किया जाय। शासन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थापित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अधीन कुछ पूर्व से परिभाषित उपयोगों में अपवाद अनुमन्य किये जा सकते हैं। इस प्रकार के कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित को सम्मिलित कर सकते हैं :– (क) संचालन अग्रिम (मोबिलाइजेशन एडवान्स) (ख) उपस्कर एवं मशीन हेतु अग्रिम तथा (ग) निर्माण कार्य की प्रगति में तीव्रता लाने हेतु अग्रिम।

(2) अग्रिम, अग्रिम धनराषि के समायोजन अथवा कटौती तक, ब्याज की शर्त के अधीन स्वीकृत किये जाऐंगे। अग्रिम की वसूली या समायोजन सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारन्टी अथवा अन्य धरोहर राशि ली जाय। यदि बैंक गारन्टी ली जाए तो उसे स्वीकार करने के पूर्व बैंक गारन्टी की अधिप्रमाणिकता एवं वैधता की अवधि की जाँच की जाए।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत (अल्मोड़ा) के प्रकीर्ण अग्रिम से सम्बंधित अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका में निम्न धनराशि का अग्रिम दर्शाया गया है:-

Month from which Transaction Dates	Particulars of item	June 18 Closing Balance (In Rs.)
12/05	Bharat Petroleum,Bareilly	120720
2/0	Agro Service Filing Contr	74234
10/10	D.M Almora	463018
10/10	Kamal Singh Contr.,10% Penalty	27582
3/12	M.S.DeswalConst.,Recovery	114938
8/12	Hem Raj Singh Negi Contr.	192237

8/12	Girish Singh Contr.	214614
10/12	Soban Singh Bisht Contr.	246586
2/13	Nandan Singh Bisht	22500
1/14	Lalit Mohan Singh, 10% Penalty	33750
11/14	Pratap Singh Rawat Contr. 10%Penalty	1067210
12/14	Sunder Singh Contr., 10% Penalty	44,097
2/15	M/s Moh contractor 10% Penalty	58307
5/15	Kuldeep Singh Contr,.	39944
5/15	Puran Singh	18947
5/15	Mahipal Pal	18939
6/15	Purshottam Kulbe contr. 10% Penalty	13483
6/15	Gopal Singh, 10% Penalty,	134979
	कुल योग -	2906085

उक्त अग्रिमों के समायोजन से सम्बंधित लेखा-परीक्षा के बिन्दु के विभागीय उत्तर मे बताया गया कि पुनः आगणन कर रजिस्टर ठीक कर लिया जायेगा।

इस प्रकार पुरानी प्रकीर्ण अग्रिम की धनराशि का लेखा-परीक्षा तिथि (जुलाई 2018) तक समायोजन / वसूली नहीं होना, अनियमित है।

अतः रु॰29.06 लाख के प्रकीर्ण अग्रिम की वसूली नहीं किए जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2:- रॉयल्टी की कटौती न किए जाने से `0.83 लाख के राजस्व की हानि ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि खण्ड द्वारा निक्षेप मद के अंतर्गत खैरना-रानीखेत मोहान मोटर मार्ग के कि.मी. 95 से 101 में क्षतिग्रस्त दीवारों आदि के पुनः निर्माण कार्य हेतु गठित अनुबंध संख्या 28/AE-IV दिनांक 21/02/18 से संबन्धित ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल (वाऊचर संख्या 132 दिनांक 03/2018) से `82,890/- की रॉयल्टी की कटौती खण्ड द्वारा नहीं की गयी है।

उक्त की और इंगित करने पर खण्ड ने अपने उत्तर में रॉयल्टी की कटौती न किए जाने को स्वीकारते हुए अवगत कराया कि ठेकेदार की जमानत धनराशि `1,25,000/- में से रॉयल्टी की धनराशि `82,890/- की वसूली की जाएगी।

अत: खण्ड द्वारा ठेकेदारो के बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने से सरकार को `82,890/- के राजस्व की हानि होने के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
ऑडिट मेमो 19/703 के अनुसार निम्न को छोड़कर :-		
46/2010-11	-	01
17/2012-13	-	01
78/2013-14	-	02,03
101/2015-16	-	01
88/2016-17	-	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			खण्ड द्वारा बताया गया है कि उच्चाधिकारियों के संस्तुति के पश्चात अनुपालन आख्या कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- शून्य -

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। **तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:**

बलमरा स्याल्दे केदार मोटर मार्ग से संबन्धित GST payment से संबन्धित अभिलेख।

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
(i)	श्री कुन्दन लाल वर्मा	अधि. अभि.	16/12/15 से अब तक

4.विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबद्ध रहे।

(I) श्री रत्नेश कुमार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II